



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-26102026-277421
CG-JK-E-26102026-277421

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626]
No.626]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए)

अधिसूचना

जम्मू, 29 सितम्बर, 2026

क्रमांक जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2026/04.— विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 36) की धारा 57, धारा 58, धारा 59 तथा धारा 181 की उप-धारा (2) के खंड (जेडए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा धारा 50 और इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा समय-समय पर यथासंशोधित विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के अनुसरण में, जिसमें आपूर्ति की विश्वसनीयता से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, इसके द्वारा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निपादन के मानक) विनियम, 2023 (जिसे इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

- 1.1 इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निपादन के मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकता है।
- 1.2 ये विनियमन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 1.3 इन विनियमों का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संपूर्ण क्षेत्र पर होगा।

2. मूल विनियमों की अनुसूची-II के विनियम 19 का प्रतिस्थापन:

19. सूचकांकों की गणना अनुज्ञप्तिधारी के लिए समग्र रूप से की जाएगी, जिसके लिए आपूर्ति क्षेत्र के सभी 11 केवी फीडरों को, कृषि फीडरों को छोड़कर, प्रत्येक माह के लिए एकत्रित किया जाएगा और तत्पश्चात् प्रत्येक फीडर के लिए उस माह में हुए सभी व्यवधानों की संख्या और अवधि को समेकित किया जाएगा। इसके पश्चात् सूचकांकों की गणना निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके की जाएगी:

$$\text{क) } SAIFI = \sum_{i=1}^n (A_i \times N_i) / N_t$$

$$\text{ख) } SAIDI = \sum_{i=1}^n (B_i \times N_i) / N_t$$

$$\text{ग) } MAIFI = \sum_{i=1}^n (C_i \times N_i) / N_t$$

जहाँ,

A_i =माह के दौरान i th फीडर पर दीर्घकालिक व्यवधानों (प्रत्येक 5 मिनट से अधिक) की कुल संख्या

B_i =माह के दौरान i th फीडर पर सभी दीर्घकालिक व्यवधानों (प्रत्येक 5 मिनट से अधिक) की कुल अवधि

C_i =माह के दौरान i th फीडर पर क्षणिक व्यवधानों (प्रत्येक 5 मिनट से कम या उसके बराबर) की कुल संख्या

N_i =प्रत्येक व्यवधान के कारण प्रभावित i th फीडर के उपभोक्ताओं की संख्या।

N_t =लाइसेंसी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 केवी फीडरों पर उपभोक्ताओं की कुल संख्या।

n =लाइसेंसी के आपूर्ति क्षेत्र में 11 केवी फीडरों की संख्या (कृषि फीडरों को छोड़कर)।

टिप्पणी:

(क) फीडरों को श्रेणी-I शहरों सहित अन्य नगर क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग वर्गीकृत किया जाना चाहिए और सूचकांकों का मान प्रत्येक माह के लिए अलग-अलग रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

(ख) लाइसेंसी कृषि फीडरों के लिए इन सूचकांकों के मान की गणना अलग से करेगा। सूचकांकों की गणना की पद्धति अन्य फीडरों के मामले में अपनाई गई पद्धति के समान ही रहेगी।

3. मूल विनियमों की अनुसूची-II में विनियम 20 और 21 का अंतर्वेशन

मूल विनियमों की अनुसूची-II के विनियम 19 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतर्विष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:-

20. वितरण लाइसेंसी द्वारा आपूर्ति की विश्वसनीयता के निम्नलिखित मापदंडों की गणना की जाएगी और उन्हें आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) एक वर्ष में प्रति उपभोक्ता व्यवधान की कुल अवधि और आवृत्ति:

i. प्रणाली औसत व्यवधान अवधि सूचकांक (एसएआईडीआई); और

ii. प्रणाली औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एसएआईएफआई)।

(ख) उपर्युक्त खंड (क) में उल्लिखित मापदंडों की गणना और रिपोर्टिंग निम्नलिखित आधार पर की जाए:

i. मासिक आधार पर, और

ii. संचयी वार्षिक (वर्ष-दर-तारीख) आधार पर,
आयोग द्वारा विनियम 19 में निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार।

(ग) एसएआईडीआई और एसएआईएफआई की गणना के प्रयोजन के लिए, केवल पाँच (5) मिनट या उससे अधिक अवधि वाले व्यवधानों को ही ध्यान में रखा जाएगा (जैसा कि उपर्युक्त विनियम 19 में निर्दिष्ट है), अथवा ऐसी अन्य न्यूनतम व्यवधान अवधि को, जो आयोग द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

21. वितरण लाइसेंसी द्वारा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाइसेंसी के लिए कार्य-निपादन के मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2026 की अधिसूचना की तारीख से 12 माह के भीतर व्यवधानों की निगरानी और उन्हें बहाल करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें यथासंभव स्वचालित उपकरणों का उपयोग किया जाना अधिमानतः सुनिश्चित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - यह संशोधन समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के अंतर्गत आपूर्ति की विश्वसनीयता से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में तथा उन्हें प्रभावी बनाने के लिए जारी किया गया है। वितरण लाइसेंसी उपर्युक्त उल्लिखित विश्वसनीयता मापदंडों तथा न्यूनतम व्यवधान अवधि/समय से संबंधित विवरण आयोग को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे, ताकि आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे आगे के निर्देश या अधिसूचना जारी की जा सकें।

आयोग के आदेशानुसार।

मोहम्मद अशरफ (जेकेएस), सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./395/2026-27]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh)

NOTIFICATION

Jammu, the 29th September, 2026

No. JERC-JKL/Reg/2026/04.— In exercise of the powers conferred by Section 57, Section 58, Section 59 and clause (za) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003), read with Section 50 and all other powers enabling it in this behalf, and in pursuance of the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020, as amended from time to time, including the provisions relating to reliability of supply, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh hereby makes the following Regulations further to amend the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Standard of Performance for the Distribution Licensee) Regulations, 2023 (hereinafter referred to as the “Principal Regulations”), namely:—

1. Short title, extent and Commencement

1.1 These regulations may be called the **Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Standard of Performance for the Distribution Licensee) (First Amendment) Regulations, 2026.**

1.2 These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette

1.3 These Regulations shall extend to the whole of the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.

2. Substitution of Regulation 19 of Schedule-II of the Principal Regulations:

19. The Indices shall be computed for the licensee as a whole by stacking, for each month all the 11kV feeders in the supply area, excluding the agricultural feeders, and then aggregating the number and duration of all interruptions in that month for each feeder. The Indices would then be computed using the following formulae:

$$a) SAIFI = \sum_{i=1}^n (A_i \times N_i) / N_t$$

$$b) SAIDI = \sum_{i=1}^n (B_i \times N_i) / N_t$$

$$c) MAIFI = \sum_{i=1}^n (C_i \times N_i) / N_t$$

Where,

A_i = Total number of sustained interruptions (each longer than 5 minutes) on i^{th} feeder for the month

B_i = Total duration of all sustained interruptions (each longer than 5 minutes) on i^{th} feeder for the month

C_i = Total number of momentary interruptions (each less than or equal to 5 minutes) on i^{th} feeder for the month

N_i = Number of Consumers of i^{th} feeder affected due to each interruption.

N_t = Total number of Consumers at 11kV feeders in licensee's supply area.

n = Number of 11kV feeders in licensee's supply area (excluding agricultural feeders)

Note:

(a) The feeders must be segregated into Other Towns Area including Class-I cities and rural and the value of the indices must be reported separately for each month.

(b) Licensee shall compute the value of these indices separately for agriculture feeders. The methodology for computation of indices shall remain the same as in the case of other feeders.

3. Insertion of Regulations 20 and 21 in Schedule-II of the Principal Regulations

After Regulation 19 of Schedule-II of the Principal Regulations, the following Regulations shall be inserted, namely:—

20. The Distribution Licensee shall calculate and submit to the Commission the following parameters of reliability of supply, namely: -

(a) Total duration and frequency of outages per consumer in a year:

i. System average interruption duration index (SAIDI); and

ii. System average interruption frequency index (SAIFI).

(b) The parameters in the clause (a) above shall be computed and reported:

i. on a monthly basis, and

ii. on a cumulative annual (year-to-date) basis,

in accordance with the methodology specified by the Commission in the regulation 19.

(c) For the purpose of computation of SAIDI and SAIFI, only interruptions of **five (5) minutes or more** shall be considered (as specified in the regulation 19 above), or such other minimum outage duration as may be specified by the Commission by an order, from time to time.

21. The distribution licensee shall put in place a mechanism, preferably with automated tools to the extent possible, for monitoring and restoring outages within 12 months from the date of notification of the **Joint**

Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Standard of Performance for the Distribution Licensee) (First Amendment) Regulations, 2026.

Explanation. —This amendment is issued in compliance with, and to give effect to, the provisions relating to reliability of supply under the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020, as amended from time to time. The Distribution Licensees shall submit the above-mentioned reliability parameters and details relating to minimum outage duration/time to the Commission for consideration and for such further directions or notification as may be considered necessary.

BY ORDER OF THE COMMISSION.

MOHD. ASHRAF (JKAS), Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./395/2026-27]